



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०- 45 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/14-14-का०वि०नी०/87(टी०सी०-आर) दिनांक 09 जनवरी, 2014

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,

विद्युत वितरण निगम लि०,

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2),

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),

अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-1/2,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं हेतु कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत उ०प्र० शासन की "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण विनियमावली-2013" के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशनादेश सं० 480-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/13-14-काविनी/87(टीसी-आर) दिनांक 31.08.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) विनियमावली-2013" को अंगीकृत किये जाने विषयक कारपोरेशन के आदेश सं० 457-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/13-14-काविनी/87(टीसी-आर) दिनांक 22.08.2013 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश है कि मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा विषयगत प्रकरण में योजित याचिका सं० 985/2013(गोविन्द चन्द्र गुप्ता बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2013 के अनुपालन में कारपोरेशनादेश सं० 457-काविनी एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/13-14-काविनी/87(टीसी-आर) दिनांक 22.08.2013 का क्रियान्वयन इसके निर्गमन की तिथि से एतद्वारा बहाल किया जाता है।

भवदीय

(जावेद अहमद) 9/1/14

संयुक्त सचिव (काविनी)

संख्या: 45 - (I) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2014 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः.....2)

(4)

(2)

4. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
5. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की दिनांक 31.07.2013 को आयोजित बैठक की मद सं० सौ(33)/13 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्षा सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppci.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से



(सुनील कुमार शिवरे)

अनु सचिव (काबिनी)